<u>प्रेस नोट दिनांक 28.06.2024</u>
<u>थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।</u>

<u>थाना फतेहगंज पूर्वी #bareillypolice द्वारा अवैध रूप से गर्भपात करने वाले रैकेट के आरोपियों को गर्भपात उपकरणों के साथ किया गया गिरफ्तार।</u>

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम एवं थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र में पीडिता को बेहोश कर बलात्कार की घटना के सफल अनावरण हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय के मार्गदर्शन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी फरीदपुर महोदय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक फतेहगंज पूर्वी के नेतृत्व में थाना फतेहगंज पूर्वी पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना फरीदपुर क्षेत्र में अवैध रूप से गर्भपात करने वाले रैकेट के आरोपियों/अभियुक्तगण 1.सोनू अंसारी पुत्र हसीर अहमद अंसारी उम्र करीब 24 वर्ष नि0 ग्रा0 भगवन्तापुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली 2.इरफान पुत्र लियाकत उम्र करीब 40 वर्ष नि0 मो0 मिर्धान कस्वा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली 3.नजाकत पुत्र भूरे शाह उम्र 40 वर्ष नि0 मौ0 फर्रखपुर कस्वा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली 4.मोहित पुत्र रामदास उम्र करीब 25 वर्ष मो0 शिवनगर कालोनी बीसलपुर रोड फरीदपुर 5.रिजवान उर्फ सिद्दू पुत्र इस्लाम सिद्दीकी उम्र करीब 20 वर्ष नि0 नवादावन थाना फरीदपुर जिला बरेली 6.अभियुक्ता सीमा पत्नी वीरेश सिंह उम्र करीब 45 वर्ष नि0 ग्रा0 विनौरा थाना मदनापुर शाहजहाँपुर हाल नि0 मो0 बक्सरिया कस्वा व थाना फरीदपुर डीके अस्पताल फरीदपुर एवं अल्फा अल्ट्रासाउण्ड सेंटर फरीदपुर को मय गर्भपात उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया जिनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरणः-</u> दिनांक 26.06.2024 की रात्रि में वादी/शिकायतकर्ता की पुत्री को दिनांक 21.06.24 को कोल्ड़ ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना फतेहगंज पूर्वी पर मु0अ0सं0 164/24 धारा 328/376 भादवि0 बनाम विशाल गंगवार पुत्र अजयपाल गंगवार नि0 ग्राम हरेला थाना फते0 पूर्वी बरेली उम्र करीब 20 वर्ष पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली द्वारा संपादित की गयी।

<u>अपराध करने का तरीकाः-</u> विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 1.सोनू अंसारी 2.इरफान 3.नजाकत 4.मोहित 5.रिजवान उर्फ सिद्दू 6.अभियुक्ता सीमा का नाम प्रकाश में आया। दौराने पूछताछ अभियुक्त सोनू अंसारी उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं डीके अस्पताल फरीदपुर बरेली में काम करता हूँ। उक्त अस्पताल इरफान व नजाकत मिलकर चलाते है तथा सीमा नाम की महिला भी यहां पर काम करती है। हम लोगों में से किसी के पास भी कोई वैध डिग्री नहीं है। हम लोग मिलकर आपस में महिलाओं का उपचार एवं गर्भपात करते हैं, जिससे हमें अच्छी कमाई हो जाती है। उन्ही पैसों को हम आपस में बाँटकर अपना जीवन यापन करते है।

<u>घटनाक्रमः-</u>अभियुक्तगण द्वारा दौराने पूछताछ पूरा घटनाक्रम इस प्रकार बताया गया है कि रिजवान उर्फ सिद्दू उपरोक्त कस्वा फरीदपुर में सिद्दीकी गारमेन्टस के नाम से रेडीमेड कपडो की दुकान करता है। पीडिता की फ्रैंडशिप थाना फरीदपुर जनपद बरेली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ थी। चूंकि पीडिता अपने सभी राज उस युवती को बताती थी। पीडिता ने उस युवती से बताया था कि वह अपने गाँव के किसी लडके से प्यार करती है और करीब 06-07 माह की गर्भवती है। इस बात को पीडिता ने अपने बायफ्रैंड/दोस्त को भी बताया। पीडिता का बॉयफ्रैंड इस बात को लेकर काफी परेशान था तो उसके बॉयफ्रैड/दोस्त ने पीडिता की दोस्त से कहा कि पीडिता मेरा कहना नही मानेंगी। तुम पीडिता को अल्ट्रासाउण्ड के वहाने भेजकर उसका गर्भपात करा दो नहीं तो वह टेंशन में आकर आत्महत्या भी कर सकती है। पीडिता की सहेली ने यह बात अभियुक्त रिजवान उर्फ सिद्दू को बतायी कि मेरी एक फ्रैंड 06-07 माह की गर्भवती है, उसका गर्भपात कराना है, तब पीडिता की सहेली पीडिता को लेकर रिजवान के साथ उसकी मोटर साइकिल पर बैठकर फरीदपुर रेनू अल्ट्रासाउण्ड सेंटर पर गये, जहाँ पर पीडिता का अल्ट्रासाउण्ड कराया जिसमें गर्भवती होने की बात सही निकली। पीडिता की सहेली ने कहा कि तुम ले जाकर इसका गर्भपात करा दो नहीं तो समाज में बहुत बदनामी होगी। गर्भपात की बात पीडिता के सामने नहीं बतानी नहीं तो पीडिता गर्भपात के लिये तैयार नहीं होगी। रिजवान ने पीडिता की सहेली से बताया कि मेरी दुकान के बराबर में अल्फा अल्ट्रासाउण्ड सेंटर है जहाँ पर अभियुक्त मोहित पुत्र रामदास काम करता है मैं उसे जानता हूँ और अभियुक्त मोहित पुत्र रामदास उपरोक्त की जान पहचान डीके अस्पताल

में उठने बैठने वाले अभियुक्त सोनू अंसारी से थी जो पहले अल्फा अल्ट्रासाउण्ड सेंटर में काम करता था। पीडिता की सहेली ने दिनांक 21.06.24 को पीडिता को बुला लिया तथा रिजवान के साथ मोटर साइकिल पर यह कहकर भेजा की तुम्हारा एक अल्ट्रासाउण्ड और होना है तुम रिजवान के साथ चली जाओ। पीडिता रिजवान की मोटर साइकिल पर बैठकर फरीदपुर आयी। अभियुक्त मोहित अल्फा अल्ट्रासाउण्ड पर ही मिला तब रिजवान ने मोहित से सारी बात बतायी। अभियुक्त मोहित ने पीडिता व अभियुक्त रिजवान को ले जाकर अभियुक्त सोनू अंसारी से मिलवाया। अभियुक्त सोनू अंसारी ने यह बात डीके अस्पताल मालिक इरफान व नजाकत से बतायी तो उन्होने कहा कि अभियुक्ता सीमा नाम की महिला को बुलवा लेते है। गर्भपात हम सब मिलकर कर देगे। गर्भपात कराने का खर्चा 12,000 रूपये तय हुआ। फिर अभियुक्त इरफान अपनी मोटर साइकिल से अभियुक्ता सीमा को लेकर आ गया और अभियुक्त रिजवान उर्फ सिद्दू से 5,000 रूपये नगद लेकर 4,000 रूपये अभियुक्ता सीमा को दे दिये। रिजवान से शेष रूपये बाद में देने की बात कही। अभियुक्ता सीमा ने पीडिता को कमरें मे ले जाकर बेहोश कर दिया तथा अभियुक्ता सीमा, अभियुक्त इरफान, अभियुक्त नजाकत, अभियुक्त सोनू ने पीडिता का गर्भपात किया। करीब 06-07 माह का भ्रूण निकला दौराने गर्भपात पीडिता को काफी रक्तस्राव हुआ। अभियुक्त इरफान ने पीडिता के गर्भ से निकले भ्रूण को फेंक आने के लिये अभियुक्त रिजवान उर्फ सिद्दू उपरोक्त से कहा। रिजवान ने रात्रि में उस भ्रूण को अज्ञात स्थान पर फेंक दिया। अवैध तरीके व जानकारी के अभाव में किये गये गर्भपात के कारण पीडिता की हालत काफी खराब होने पर सभी लोग वहाँ से भाग गये। सभी अभियुक्तगण द्वारा षडयंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। अभियुक्त सोनू द्वारा पीडिता के पिता को फोन द्वारा सूचना दी गयी। सूचना पर उसके माता-पिता उसे घर ले गये। उसके उपरान्त पीडिता को एस0आर0 क्रिटिकल केयर हास्पिटल व ट्रामा सेन्टर बीसलपुर रोड बरेली में एडमिट कराया गया, जहां पर पीडिता उपचाराधीन है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सोनू अंसारी पुत्र पुत्र हसीर अहमद अंसारी उम्र करीब 24 वर्ष नि0 ग्रा0 भगवन्तापुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली
2.इरफान पुत्र लियाकत उम्र करीब 40 वर्ष नि0 मो0 मिर्धान कस्वा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली
3.नजाकत पुत्र भूरे शाह उम्र 40 वर्ष नि0 मौ0 फर्रखपुर कस्वा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली
4.मोहित पुत्र रामदास उम्र करीब 25 वर्ष मो0 शिवनगर कालोनी बीसलपुर रोड फरीदपुर
5.रिजवान उर्फ सिद्दू पुत्र इस्लाम सिद्दीकी उम्र करीब 20 वर्ष नि0 नवादावन थाना फरीदपुर जिला बरेली
6.अभियुक्ता सीमा पत्नी वीरेश सिंह उम्र करीब 45 वर्ष नि0 ग्रा0 विनौरा थाना मदनापुर शाहजहाँपुर हाल नि0 मो0 बक्सरिया कस्वा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

वांछित अभियुक्तः-

1.विशाल गंगवार पुत्र अजयपाल गंगवार नि0 ग्राम हरेला थाना फते0 पूर्वी बरेली उम्र करीब 20 वर्ष।
2.पीडिता की सहेली।

आपराधिक इतिहासः-मु0अ0सं0 164/24 धारा 328/376/313/308/120बी0 भादवि थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली एवं अन्य आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री मदन मोहन चतुर्वेदी, थाना फतेगंज पूर्वी, जनपद बरेली।
2.उ0नि0 श्री मो0 मारूफ, थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।
3.उ0नि0 यूटी श्री अखिल प्रताप सिंह, थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।
4.का0 2142 जतिन कुमार, थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।
5.का0 2683 यदुवीर सिंह, थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।
6.म0का0 2570 सावित्री देवी, थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।
7.म0का0 1075 स्वेता देवी, थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली ।